संपादकीय जागरण

सोमवार, 22 जनवरी, 2018 : माघ शुक्ल 5 वि. 2074

कर्तव्य से विमुख होते ही चरित्र के पतन की शुरुआत हो जाती है

यह तो होना ही था

आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य करार देने की चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने पर हैरानी नहीं, क्योंकि वह इस सिफारिश को मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य थे। निःसंदेह हैरानी इस पर भी नहीं कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर हमला किया। आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक चुनाव आयोग और राष्ट्रपति पर जिस तरह निशाना साध रहे हैं उससे यही पता चलता है कि नई तरह की राजनीति का दावा करने वाला यह दल किस तरह अन्य राजनीतिक दलों जैसा ही है। आम आदमी पार्टी ने एक साथ 21 विधायकों को जिस तरह संसदीय सचिव बनाया उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। इतने अधिक विधायकों को संसदीय सचिव इसीलिए बनाया गया, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा को किसी न किसी रूप में पूरा किया जाना था। यही कारण रहा कि जिस दिल्ली में पहले कभी एक-दो संसदीय सचिव ही हुआ करते थे वहां इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को लाभ के पद पर बैठा दिया गया। जब इस पर सवाल उठे तो एक कानून बनाकर उसे पिछली तिथि से प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। यह कोशिश और कुछ नहीं, नियम कानूनों और संविधान की अनदेखी ही थी। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता अपने को सही बताने के लिए तरह-तरह के आरोप उछालकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन इससे यह सच छिपने वाला नहीं कि उसने अन्य राजनीतिक दलों के तौर-तरीकों का कहीं अधिक ढिठाई के साथ अनुसरण किया। इस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से दिए जाने वाले तर्क कुतर्क ही अधिक हैं। जब उसे अपनी गलती का अहसास करना चाहिए तब वह अपने अलावा अन्य सभी को गलत साबित करने में लगी हुई है।

आम आदमी पार्टी के रवैये से इसी बात की पुष्टि हो रही है कि उसका राजनीतिक शुचिता और पवित्रता से कहीं कोई लेना-देना नहीं। यही कारण है कि राजनीतिक तौर-तरीकों पर उसकी बढ़त थमती हुई दिख रही है। वह जिन मूल्यों-मान्यताओं और मर्यादाओं की बात करके राजनीति में आई थी उनकी गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। इसके आसार कम ही हैं कि आम आदमी पार्टी को अदालतों से कोई राहत मिलने वाली है। यदि उसे कोई राहत मिल भी जाती है तो भी ऐसा लगता नहीं कि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा भी फिर से हासिल कर सकेगी। आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर अन्य दलों सरीखी ही निकली। उसने अपने आचरण से दिल्ली के साथ-साथ शेष देश के लोगों को भी निराश एवं हताश करने का काम किया है। बात केवल बीस विधायकों को अनुचित तरीके से लाभ के पद पर बैठाने के कारण अयोग्य ठहराए जाने की ही नहीं है, बल्कि इसकी भी है कि उसने किस तरह के लोगों को राज्यसभा भेजना उचित समझा। क्या यह विचित्र नहीं कि जिन लोगों की आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में कहीं कोई भूमिका नहीं रही वे ही उसके सबसे पसंदीदा नेता बन गए? अच्छा यह होगा कि आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक सफर एवं तौर-तरीकों पर ध्यान दे। यदि वह ऐसा करेगी तो यही पाएगी कि वह उस रास्ते पर चल निकली जो उससे अपेक्षित नहीं था।

अच्छी पहल

बदलते वक्त और बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग भी अब अपनी परंपरागत छवि से निकलने की कोशिश में जुट गया है। खेती-किसानी का उद्देश्य और तौर तरीका बदल रहा है। पहले जहां ज्यादातर किसान अपनी घरेलू जरूरतों को पूरी करने के लिए ही कृषि कार्य तक सीमित थे, वहीं अब वे खेती को आय का साधन भी बनाने लगे हैं। खेती ज्यादा से ज्यादा लाभदायक हो इस पर उनका ज्यादा जोर है।

किसानों के इस बदले नजरिये के साथ कदमताल करते हुए कृषि विभाग उन्हें अब और प्रगतिशील बनाने के प्रयास में जुटा है। वह न केवल अपने विभाग से छपने वाले साहित्य का स्वरूप बदलेगा, बल्कि खेती के उन्नत तौर-तरीकों के साथ बाजार की जानकारी भी देगा। यानी कृषि विभाग किसानों को अब अर्थशास्त्र भी पढ़ाएगा। उन्हें बताएगा कि बाजार की मांग के अनुसार खेती करनी क्यों जरूरी है। अर्थशास्त्र के मांग और आपूर्ति के बुनियादी सिद्धांत के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग 'मिलियन फार्मर्स स्कूल' का सहारा लेगा। रबी के सीजन में मृदा दिवस (पांच दिसंबर) पर सरकार ने 'मिलियन फार्मर्स स्कूल' योजना शुरू की थी। केंद्र और प्रदेश की सरकार न केवल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों कार्यों में सरकारें सफल रहीं तो बेरोजगारी दूर करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन इस पहल का लाभ तभी है जब विभाग ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपनी पहुंच बना सके।

इस पहल का लाभ तभी है जब विभाग ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपनी पहुंच बना सके

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नेशनल टीचिंग मिशन देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में कारगर होगा?

आज का सवाल

क्या लाभ के पद मामले में 20 विधायकों के अयोग्य साबित होने से आम आदमी पार्टी की साख प्रभावित होगी?

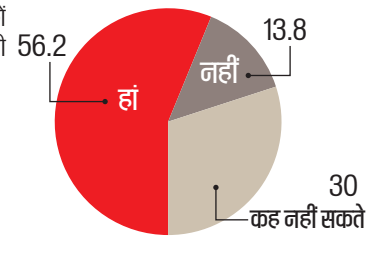

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y – हां, **N** – नहीं, **C** – कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विदेश नीति का मजबूत होता मोर्चा

बैजयंत जय पांडा

दुनिया में प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरने के लिए भारत को अपनी सामरिक ताकत और व्यापक आर्थिक क्षमताओं का निरंतर लाभ उठाते रहना चाहिए

इस साल गणतंत्र दिवस से पहला पखवाड़ा भारत की विदेश नीति को समर्पित रहा। राजधानी दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच तीसरे 'रायसीना डायलॉग' का आयोजन हुआ। सैकड़ों वैश्विक नीति-निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कैबिनेट मंत्रियों, भारतीय अधिकारियों, अकादमिक जगत की हस्तियों, निजी क्षेत्र के दिग्गजों और मीडिया के नामचीन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में होता है। इस बार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। अब यह भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आयोजन बन गया है। इसके उद्घाटन सत्र का सार यही रहा कि भारत और इजरायल के बीच रिश्ते और घनिष्ठ होते जा रहे हैं। नेतन्याहू के भारतीय दौरे के बीच ही एक पड़ाव यह भी था। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बाबत उन्होंने दोहराया कि मुकाबले में केवल मजबूत और दमदार प्रतिद्वंद्वी ही अपना अस्तित्व बचा पाता है और ऐसे में आपको मजबूत साथी के साथ ही गठजोड़ करना पड़ता है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है तब से भारतीय विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव देखने को मिला है। इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद वहां का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत इजरायल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है जहां दोनों देश अरबों डॉलर के रक्षा सौदों में लगे हैं। दोनों देशों ने परस्पर सामरिक एवं आर्थिक रिश्तों को मजबूती दी है।

अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। अक्टूबर, 2017 में भारतीय दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा था कि अमेरिका और भारत गहन सामरिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं जहां रक्षा संबंधों, आतंक विरोधी अभियान के साथ-साथ ऊर्जा सहयोग में दोनों देशों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आई है। भारत और अमेरिका मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास, रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल और आसान आवाजाही एवं ढुलाई के लिए लेमोओ जैसे समझौतों के जरिये काफी करीब आ चुके हैं। उस दौरान टिलरसन ने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा था कि जो देश अपनी सरकारी नीति में आतंक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मात खाने और बदनामी के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। वहीं इस साल के पहले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिये पाकिस्तान को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका को बरगलाता आया है और इस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब का सहारा लिया है। ट्रंप ने कहा कि पंद्रह वर्षों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की सहायता दी और उधर पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता रहा। पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर उचित कार्रवाई में हिचक से यह जाहिर भी होता है।

अवधेश राजपूत

आतंक को पोषित करने के चलते पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी भर्त्सना हो रही है। आइएसआइएस को हराने के लिए बने वैश्विक गठजोड़ का भी वह हिस्सा नहीं है। दिलचस्प बात यही है कि चीन का नजरिया अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग है। बीजिंग का मानना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत त्याग किया है। चीन पाकिस्तान में 52 अरब डॉलर के भारी-भरकम निवेश से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी का निर्माण कर रहा है जिसे चीन अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड परियोजना का अहम हिस्सा मानता है। वहीं मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों पर भी चीन संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर अड़ंगा डालता रहा है जो आतंकवाद को लेकर उसके रवैये की कलई खोलता है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गलबहियों पर अमेरिका वक्त-बेवक्त आंखें तरेरता रहता है। जहां उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली दो अरब डॉलर की सहायता बंद कर दी तो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता पर भी कड़ी नजर रखता है।

शुरुआत में मोदी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश भी की। इसी कड़ी में वह 2015 में अचानक पाकिस्तान भी गए, लेकिन पाकिस्तान की व्यवस्था में गहराई तक पैठ की हुई आतंक की जड़ों ने शांति की फसल को लहलहाने नहीं दिया और मोदी के दौरे के चंद रोज बाद ही पठानकोट एयरबेस पर हमला हो गया। फिर उड़ी हमले के साथ तो अति ही हो गई जिसके जवाब में भारत ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब हम इस आतंक पसंद पड़ोसी को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है तो मुंबई में 26/11 हमले के बाद से हालात काफी सुधरे हैं। तटीय सुरक्षा प्राथमिकता सूची में आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तटीय सीमा पुलिस बल की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही भारत 2018 तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर बाड़ लगाने के साथ ही वहां अत्याधुनिक सीसीटीवी, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन डिवाइस और मॉनिटरिंग सेंसर की व्यवस्था करने जा रहा है। पूरब के साथ जुड़ने में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत-आसियान संबंध अपने शिखर पर हैं और यह हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग बन गए हैं। नई दिल्ली में जल्द ही भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन से इसमें एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। साथ ही आसियान के दस राष्ट्रप्रमुख ही इस बार गणतंत्र दिवस की शोभा भी बढ़ाएंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

बहुस्तरीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी देशों की पहल यानी बिम्सटेक की भी अपनी अहमियत है। रायसीना डायलॉग में इससे जुड़े एक सत्र की मैंने अध्यक्षता भी की। बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक सेतु की तरह है। यह दक्षेस और आसियान के साथ मिलकर क्षेत्र में आतंक विरोधी अभियान में सार्थक भूमिका निभा सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बिम्सटेक को भारतीय विदेश नीति के बेहद अहम लक्ष्यों को हासिल करने का एक स्वाभाविक विकल्प बता चुकी हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कुख्यात लालफीताशाही को खत्म करते हुए 'मदद' पोर्टल के रूप में एक सराहनीय पहल भी की है। हमारा कार्यालय समय-समय पर इसके जरिये लोगों की मदद करता है। हाल में ही केंद्रपाड़ा के शशिकांत बिस्वाल को बचाने में यह मददगार रहा। बिस्वाल पश्चिम एशिया में एक कबूतरबाज एजेंट के चंगुल में फंसे हुए थे।

बीते दो हफ्तों में इस साल के लिए विदेश नीति की बुनियाद तैयार कर दी गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में क्या होता है। चूंकि अगले आम चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं हैं तो सरकार की कथनी और करनी पर भी सभी की नजरें लगी होंगी। भू-राजनीतिक प्रभाव में प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरने के लिए भारत को अपनी सामरिक ताकत और व्यापक आर्थिक क्षमताओं का निरंतर लाभ उठाते रहना चाहिए।

(लेखक बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य हैं)

response@jagran.com

एक कदम स्वच्छ राजनीति की ओर

ए. सूर्यप्रकाश

हमें न सिर्फ सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए

भले ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब राजनीतिक दलों के नियमन और राजनीतिक दलों के चंदे तथा चुनावी खर्चे में पारदर्शिता की बात आती है तो यह अन्य लोकतांत्रिक देशों से कहीं पीछे खड़ा नजर आता है। परिणामस्वरूप एक तरफ जहां हम देश में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतंत्र को फलते-फूलते देखते हैं वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों और चुनावी प्रणाली में कालेधन के चलन तथा उसके दुष्प्रभावों को भी देख सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने अनुमान लगाया था कि पार्टियों को मिलने वाला 70 प्रतिशत चंदा नकदी और बेनामी होता है। अर्थात उसका स्रोत अज्ञात होता है। 1974 तक चुनाव आयोग द्वारा बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र में चुनावी अभियान के लिए खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपये तय की गई थी, बाद में यह सीमा बढ़कर 4.5 लाख रुपये हो गई। हालांकि विश्लेषक मानते थे कि सभी प्रमुख उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर 20 लाख रुपये तक खर्च करते थे। वर्तमान में बड़े राज्यों में लोकसभा क्षेत्र में इस खर्च की वैध सीमा 70 लाख रुपये है। माना जाता है कि इतने पैसे में कोई उम्मीदवार कहीं अच्छी तरह से अपना चुनावी अभियान चला सकता है, लेकिन सफल सांसद बताते हैं कि उनका चुनावी खर्च पांच से दस करोड़ रुपये आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चुनावी खर्च आज नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस तरह आज चुनाव लड़ना सामान्य जन के बस की बात नहीं रह गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक चुनावी चंदे में पारदर्शिता नहीं आएगी और राजनीतिक पार्टियां साफ-सुथरे उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें वित्तीय मदद मुहैया नहीं कराएंगी तब तक पूरी व्यवस्था भ्रष्ट तत्वों के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी और सुशासन एक सपना बना रहेगा।

राजनीतिक दलों के कामकाज और चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव पर न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थाओं ने टिप्पणी की है, लेकिन किसी ने भी इन मुद्दों पर विचार नहीं किया है और सुधार के उपाय नहीं सुझाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय से चुनाव सुधार पर बल दे रहे हैं कि कैसे चुनावी खर्च को कम किया जाए। इसके लिए उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया है। इस संबंध में उनकी सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए चुनावी बांड पेश कर एक अन्य छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चुनावी बांड स्कीम राजनीतिक और चुनावी प्रणाली में समाई सारी बुराइयों का भले ही इलाज न करे, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा

शाखाओं से दस दिनों के लिए ब्याज मुक्त चुनावी बांड खरीदे जा सकते हैं। ये दस लाख रुपये और एक करोड़ रुपये सहित विभिन्न मूल्यवर्गों में उपलब्ध हैं। दानदाता इन बांडों को खरीदकर पंजीकृत दलों को दे सकता है। पार्टियां अपने नामित बैंक खातों में इन्हें भुना सकती हैं और इस प्रक्रिया में दानकर्ता की पहचान गुप्त रहेगी। इसके साथ-साथ सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं। इसने दो हजार रुपये से ज्यादा नकदी में चंदे को प्रतिबंधित कर दिया है। पहले यह सीमा बीस हजार रुपये थी और राजनीति में कालेधन की मुख्य जड़ थी। इसके अलावा कंपनियों को अब यह बताना जरूरी नहीं होगा कि उन्होंने किस पार्टी को चंदा दिया है।

सभी बांड राजनीतिक दलों के नामित बैंक खातों में भुनाए जा सकते हैं और सभी दलों को बांड के जरिये मिलने वाले चंदे की राशि के बारे में बताना जरूरी होगा। मौजूदा नकदी चंदे की अपारदर्शी व्यवस्था में जहां दानदाता, दान लेने वाला, दान की मात्रा और खर्च की प्रकृति सब कुछ गुप्त या अव्यक्त होते हैं उसमें अब कुछ हद तक पारदर्शिता आएगी। क्योंकि दानदाता जितने मूल्य के बांड खरीदेंगे वह और राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बांड के रूप में जितना चंदा मिलेगा वह, सब लोगों के सामने आएगा। हालांकि दानदाताओं के नाम गुप्त रखने के प्रावधान के समर्थन में वित्त मंत्री का तर्क है कि बांड स्कीम को आकर्षित बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। पुराने अनुभव भी इसके समर्थन में हैं। उनका मानना है कि मौजूदा नकदी चंदे की व्यवस्था, जिसमें कालाधन बड़ी मात्रा में होता है, की तुलना में बांड स्कीम ज्यादा उपयुक्त है। उन्होंने वादा किया है कि देश में राजनीतिक चंदे को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार और कड़े कदम उठाएगी।

दरअसल भारत में राजनीतिक दल कई दशकों तक अपने खातों का लेखा-जोखा तक नहीं रखते थे, न ही कभी आयकर रिटर्न फाइल करते। उनमें जवाबदेहिता और पारदर्शिता का यह अभाव तब तक बना रहा जब तक न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सबसे पहले प्रयास में चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि संसद और विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और अपनी संपत्तियों तथा देनदारियों की जानकारी दें और इस संबंध में शपथपत्र दायर करें। इसी तरह उसने राजनीतिक दलों पर इस बात के लिए भी दबाव डाला कि वे अपने बैंक खातों का लेखा-जोखा कराएं, टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपनी संपत्तियों तथा देनदारियों से चुनाव आयोग को अवगत कराएं। सुप्रीम कोर्ट तब स्तब्ध रह गया था जब उसने देखा कि तत्कालीन सरकार राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में आयकर कानून को लागू नहीं कर रही है। फिर न्यायालय ने चुनाव आयोग और आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वे टैक्स रिटर्न फाइल करने में विफल रहने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई करें।

हालांकि भारतीय लोकतंत्र पर गर्व करने की कई वजहें भी हैं। 1951 में जहां मतदाताओं की संख्या 17.3 करोड़ थी वहीं 2014 में यह बढ़कर 81.5 करोड़ हो गई। न्यायपालिका का हस्तक्षेप और चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी का धन्यवाद कि आज मतदाताओं को प्रत्येक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति के बारे में घर बैठे जानकारी हासिल होने लगी है। आयोग ने बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराकर एक और शानदार काम किया है। उसने ईवीएम में वीवीपैट जोड़ कर उसके आलोचकों को करारा जवाब देने का काम किया है। इसके अलावा उसके पर्यवेक्षकों द्वारा चुनावों की निगरानी की जाती रही है। बावजूद इसके चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लग पाई है। इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि मात्रा ही काफी नहीं होता, गुणवत्ता भी जरूरी होती है। हमें न सिर्फ बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ना चाहिए।

(लेखक प्रसार भारती के अध्यक्ष और स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पीड़ा का अंत

जब किसी व्यक्ति का दुर्घटना में चेहरा विकृत हो जाता है, उसे गहरी चोट लग जाती है या अंदरूनी बीमारी शरीर में घर कर जाती है तो उसकी सर्जरी करके उसे एक नया रूप व जीवन दिया जाता है ताकि वह पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर दिखने लगे। होता भी ऐसा ही है। इसी तरह सर्जरी हमारे मन की भी होती है। शारीरिक सर्जरी जहां डॉक्टर करते हैं, वहीं मानसिक सर्जरी मनोचिकित्सक के साथ-साथ व्यक्ति स्वयं कर सकता है। लेखक मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने प्रसिद्ध पुस्तक 'साइको साइबरनेटिक्स' में लिखा है कि 'पुराने भावनात्मक निशानों को हटाने वाला ऑपरेशन केवल आप ही कर सकते हैं। आपको स्वयं अपना प्लास्टिक सर्जन बनना होगा। परिणाम होगा- नया जीवन, नई स्फूर्ति, नई मानसिक शांति और सुख। भावनात्मक निशानों या मन की चोटों का इलाज दवाओं या डॉक्टर के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे मानसिक घावों को व्यक्ति को पूरी तरह से काटकर बाहर निकालने का प्रयास करना होगा। जिस तरह सर्जरी के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसी तरह मानसिक सर्जरी के लिए भी क्षमा, आत्मसम्मान, ईमानदारी, करुणा, प्रेम और आत्मविश्वास जैसे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है।

खुशी की बात यह है कि ये उपकरण हर व्यक्ति के पास हैं, बस वे इनका इस्तेमाल करने में कभी-कभी देर कर देते हैं, जिससे मन का घाव बढ़ता जाता है। कई लोगों को तो मानसिक चोट मृत्यु के मुंह में पहुंचा देती है। यदि शारीरिक बीमारी का इलाज समय पर न किया जाए तो व्यक्ति अपंग हो जाता है और कई बार तो असमय ही मृत्यु का ग्रास भी बन जाता है। उसी तरह यदि मन में बैठे अवसाद के लिए मानसिक सर्जरी न की जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो जाता है और कई बार मानसिक पीड़ा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इसके कारण व्यक्ति की हालत मौत से भी बदतर हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं ही मानसिक घावों को धोने के लिए मानसिक सर्जरी करने का स्वयं प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह शरीर की सर्जरी करने के लिए एक कुशल डॉक्टर की आवश्यकता होती है, उस तरह मानसिक सर्जरी करने के लिए किसी कुशल डॉक्टर की नहीं, बल्कि व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

रेनू सैनी

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बजट से उम्मीद

आम बजट का खास इंतजार शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए खेती और किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई है। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में खेती और किसानों का दयनीय स्थिति में होना चिंता का विषय है। हमारा देश समृद्ध राष्ट्र तभी कहा जा सकता है जब देश के सभी किसान समृद्धशाली हों। फिलहाल ऐसी योजनाएं लाए जाने और लागू करने की दरकार है जो खेती और किसानों के हित में हों। आगामी बजट से आयकर दाताओं को भी विशेष उम्मीदें हैं। सबसे पहली तो यही कि पांच लाख रुपये तक की आय सीमा करमुक्त होनी चाहिए, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अपरिहार्य हो गई है। इससे देश के नागरिकों की क्रयशक्ति बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। सर्वजीत आर्या, कन्नौज, उत्तर प्रदेश

हंसें या रोएं

आज देश की बेटियां पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां उन्होंने परचम न लहराया हो। लेकिन, उनके खिलाफ बढ़ रहे अपराध खत्म क्या कम होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मानुषी छिल्लर ने विश्व-सुंदरी का खिताब जीतकर जहां हरियाणा का नाम रोशन किया है, वहीं फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी में हुई दुष्कर्म की घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर समझ ही नहीं आता कि बेटियों की उपलब्धियों पर खुशी मनाएं या उनकी दुर्दशा देख कर रोएं।

varshayadav9874@gmail.com

नाम पाक, इरादे नापाक

आज आतंक की दुनिया में अगर कोई नाम चर्चा में है तो वह है पाकिस्तान का हाफिज सईद। यह वही हाफिज सईद है जिसको हम 2008 के मुंबई हमले का दोषी मानते हैं। इसे सजा दिलाने के लिए भारत सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब मेहनत बेकार गयी क्योंकि पाकिस्तान के अदालत में न्याय शब्द नहीं है। पाक के प्रधानमंत्री ने इस अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी को साहब कह कर एक तरह से आतंकवाद को पूर्णरूपेण से समर्थन कर दिया और दुनिया को बता भी दिया कि जिसको तुम लोग आतंकवादी मानते हो वह हमारा खास मेहमान है। पाकिस्तान में इस खुंखार आतंकवादी को यहां तक छूट दी गई है कि ये बाकायदा पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जिससे कि वह प्रधानमंत्री बन सके। इन सब कारणों को देखते हुए हम आसानी से कह सकते हैं कि पाक आतंक प्रेमी है और आतंक करना उसके संविधान का एक हिस्सा है। pathaknirajkumarw®vx@gmail.com

धधकते जंगल, जिम्मेदार कौन ?

उत्तराखंड के जंगलों में बेमौसमी धधकती आग से पर्यावरण पर्वेक्षक हैरान हैं। इन दिनों बागेश्वर के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों समेत चमोली जोशीमठ के जंगलों में आग का रौद्र रूप आसपास के इलाके में धुंध फैला रहा है। 150 हेक्टेयर क्षेत्र खाक हो गया है, सबसे बड़ा नुकसान उन निरीह बेजुबान पक्षियों व जानवरों को हो रहा है जो जिंदा भस्म हो रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ऐसी घटनाएं पिछले 1 दशक से क्यों बार-बार हो रही हैं। पिछले दिनों चमोली के नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान में लगी आग से हिमालयीन हिरण, घुरड़ या भेड़, भालू, जैसे अनेक जीव सड़कों पर आ गए थे। 11 दिसंबर की पंचाचूली ग्लेशियर व 20 दिसंबर को उत्तरकाशी के धौतरी के जंगलों के धधकने व 13 जनवरी के कैलास मानसरोवर के छियालेख के बुग्याल जलकर राख हो गए थे, जिससे करोड़ों की क्षति तो हुई ही, लेकिन जो पर्यावरणीय क्षति हुई वह अपूर्णीय है। vijaypapnai5@gmail.com

एक समान हो नियम

हज सब्सिडी को खत्म करने का फैसला सराहनीय है, क्योंकि जो भी हज जाते हैं वे इतने सक्षम होते हैं कि अपना खर्च खुद उठा सकें, लेकिन यहां पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, गांधी जी ने कहा था कि किसी भी देश के नागरिकों को यह महसूस होना चाहिए कि यह उनका अपना देश है, सबके लिए समान नियम हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जाती हैं कि अन्य धर्मों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी खत्म करने पर विचार किया जाए, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष सरकार के सिद्धांत के भी खिलाफ हैं। यह तर्क दिया गया कि यह सब्सिडी एयर इंडिया को जाती थी न कि हाजियों को। यह कोई ठोस तर्क नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का नारा देने के साथ ही गैस और अन्य सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम सरकार पहले ही कर चुकी है। कहा गया कि इस पैसे का इस्तेमाल मुस्लिमों की शिक्षा पर किया जाएगा। सवाल यह है कि किस तरह समाज को यह भरोसा दिलाया जायेगा कि इस पैसे को मुस्लिम समाज की शिक्षा पर ही खर्च किया जायेगा। kmukim36@gmail.com

निडर हो रहे हैं अपराधी

लोगों की मानसिकता इस कदर कठोर बनती जा रही है कि वह किसी भी अपराध को करने से पहले जरा भी नहीं डरते। इन दिनों अपराध के ग्राफ में काफी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआर में तो हालात बद से बदत्तर होते जा रहे हैं। अभी पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में जो मासूमों के साथ दरिंदगी हुई है यह प्रदेश को बहुत ही शर्मसार करने वाला है। साथ ही गुरुग्राम में की गई प्रिंसिपल की हत्या युवाओं में बढ़ते आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। अपराध क्यों और किस कारण से बढ़ रहे हैं? सरकार इनको रोकने के लिए क्या कानूनी प्रावधान कर रही है? यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ramdevtanwar@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

माननीय राष्ट्रपति जी ने दिल्ली में आप के 20 विधायकों की अयोग्यता पर मुहर लगा दी है। यह लोकतंत्र की जीत और उन लोगों के लिए सीख है जो संविधान के गलत इस्तेमा